

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II--सण्ड ३---उप-सण्ड (li) PART II--Section 3---Sub-Section (li)

प्राधिकार से प्रवतीक्षत PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774) नई बिल्ली, सोमवार, बिसम्बर 30, 1991/पौथ 9, 1913

No. 7741 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 1991/PAUSA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में एका जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1991

का.ग्रा. 928(ग्र) :----कर्मचारी राज्य बीमा (संगोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का 29) की धारा 1 की उपधारा (2) ढारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 35 के उपबन्धों को लागू करने की तारीख 1 जनवरी, 1992 निर्धारित करती है।

> [सख्या एस 38012/6/89-एस एस-1] शशी जैन, संयुक्त सचिव

3370 GI/91

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1991

S.O. 928(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Employees' State Insurance (Amendment) Act, 1989 (29 of 1989), the Central Government hereby appoints the 1st January, 1992 as the date on which the provisions of section 35 of the said Act, sha'l come into force.

[F. No. S-38012|6|89-S.S.f] SHASHI JAIN, Jt. Secy.